

- 07 -

**उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़**  
**आदेश पत्रक**

राज्यसात अपील वाद संख्या -09/2023

गीता देवी (Owner of Hyva No. JH-02J-6301) बनाम् राज्य एवं रेंज  
फोरेस्ट ऑफिसर, रामगढ़

आदेश की क्रम  
संख्या  
और तारीख

**आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर**

आदेश पर की गई  
कार्रवाई के बारे में  
टिप्पणी तारीख

24/11/23

**--:: आदेश ::--**

अभिलेख उपस्थापित। इस वाद की कार्रवाई उप परामर्शी वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-3752/व०प०, दिनांक-16.12.2022 के द्वारा प्राप्त विद्वान पुनरीक्षण प्राधिकारी-सह-अपर मुख्य सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा इस न्यायालय के राज्यसात अपील वाद संख्या-03/2019 के रिवीजन वाद संख्या-13/2020 में दिनांक-08.12.2022 को पारित आदेश के आलोक में प्रारंभ किया गया। उन्होंने वाद को रिमांड करते हुए निदेश दिया है कि उभय पक्षों के कागजात एवं DFO, रामगढ़ के पत्रांक-885, दिनांक-17.04.2018 को पुनः जाँच करते हुए आदेश पारित करेंगे। इसके आलोक में उभय पक्षों को नोटिस निर्गत करते हुए वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ से निम्न न्यायालय के अभिलेख एवं पत्रांक-885, दिनांक-17.04.2018 की मांग की गई।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसंगत नहीं है। इनका यह भी कहना है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में उल्लेखित भूमि मौजा-फुलसराय/मरार, थाना संख्या-142, प्लॉट संख्या-1902 जो वन सीमा क्षेत्र से बाहर है। अपीलार्थी द्वारा अपने दावे के समर्थन में व्यवहार न्यायालय, रामगढ़ में दायर Government Complaint Case No.-105/2018 में समर्पित वन भूमि सीमा क्षेत्र से संबंधित दायर गजट की सत्यापित प्रति समर्पित किया गया है। इन्होंने बहस के दौरान कहा कि वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा जो पत्रांक-2120, दिनांक-09.10.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि घटना स्थल प्लॉट संख्या-1902 में मौजूद वन सीमांकन के अन्दर घटित हुई थी। ये प्रतिवेदन न्यायालय को गुमराह करने हेतु दिया गया है। वास्तविकता यह है कि उल्लेखित भूमि मौजा-फुलसराय/मरार, थाना संख्या-142, प्लॉट संख्या-1902 जो वन सीमा क्षेत्र से बाहर है। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को खारिज करते हुए अपील आवेदन स्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया है।

सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि न्यायालय द्वारा विधिवत् न्यायिक प्रक्रिया के तहत आदेश पारित किया गया है। अधिसूचित वन क्षेत्र अंतर्गत जप्त वाहन एवं उस पर लदा मिट्टी को जप्त किया गया है। वन सीमा क्षेत्रांतर्गत उत्खनन कार्य किया गया है, जो भारतीय वन अधिनियम-1927 की धारा-33 के तहत दण्डनीय अपराध है। फलतः जप्त हाईवा ट्रक संख्या-

Ch

JH-02J-6301 को भारतीय वन अधिनियम-1927 की धारा-52(3) के तहत राज्यसात निम्न न्यायालय द्वारा किया गया है, जो विधिसंगत है। इन्होंने अपील आवेदन अस्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया है।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा पत्रांक-2120, दिनांक-09.10.2023 से पत्रांक-885, दिनांक-17.04.2018 की प्रति उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने उक्त पत्र में प्रतिवेदित किया है कि :-

- (1) चारों वाहन सीमांकन (Demarcated) वन भूमि के प्लॉट संख्या-1902, थाना संख्या-142, मौजा-फुलसराय से अवैध मिट्टी खनन और अवैध परिवहन में लिप्त थे। इन पर जी० (एफ०) केश संख्या-105/2018 दिनांक-20.06.2018 दायर किया गया।
- (2) न्यायालय प्राधिकृत पदाधिकारी-सह-वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा चारों वाहनों को राज्यसात वाद के प्रक्रिया के बाद दिनांक-08.11.2018 को राज्यसात किया गया।
- (3) अभियुक्तों द्वारा पुनरीक्षण पदाधिकारी-सह-उपायुक्त के न्यायालय में अपील दायर किया गया (अपील वाद संख्या-01/2019, 02/2019, 03/2019 एवं 04/2019) और दिनांक-28.02.2020 को अपील को स्वीकृत करते हुए न्यायालय द्वारा वाहनों को मुक्त किया गया।
- (4) अपील वाद संख्या-03/2019 के दिनांक-28.02.2020 के आदेश का अंश पठित, "... (3) अपीलार्थी द्वारा समर्पित वन सीमा अन्तर्गत अधिसूचित गजट से संबंधित सत्यापित प्रति एवं वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ का पत्र संख्या-885, दिनांक-17.04.2018 द्वारा प्रतिबंधित वन की सूची अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराई गई है, जिसमें प्रश्नगत भूमि मौजा-फुलसराय, थाना-रामगढ़, थाना संख्या-142, प्लॉट संख्या-1902 अधिसूचित वन सीमान्तर्गत नहीं है"। इस अंश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रासंगिक पत्र उपायुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराई गई थी और वह पत्र जो Negative List से संबंधित था, में संलग्न सूची को आदेश का आधार बनाया गया था।
- (5) प्रासंगिक पत्र में संलग्न सूची में दिए गए प्लॉट में मौजा-फुलसराय के अधिसूचित प्लॉट की ही विवरणी थी, इसमें सीमांकित प्लॉट को शामिल नहीं किया गया था। उल्लेखनीय है कि घटना स्थल प्लॉट संख्या-1902 में मौजूद वन सीमांकन के अन्दर घटित हुई थी। मानचित्र संलग्न (अनुलग्नक-2) किया जा रहा है। अनुलग्नक-2 के परिशीलन से ज्ञात होता है कि प्लॉट संख्या-1902(P) को मानचित्र में शामिल किया गया है और मानचित्र पर तत्कालीन वन प्रमण्डल पदाधिकारी और वन बंदोबस्त पदाधिकारी दोनों के हस्ताक्षर हैं। सीमांकित वन भूमि वन विभाग के कब्जे में है और इस पर भारतीय वन अधिनियम-1927 एवं वन संरक्षण अधिनियम-1980 लागू होते हैं।
- (5) पुनः इस कार्यालय के पत्रांक-1636, दिनांक-09.11.2020 (संलग्न अनुलग्नक-3) द्वारा Exhaustive Negative List भेजा गया है, जिसमें Demarcated/सीमांकित वन भूमि वाले प्लॉट्स को भी शामिल किया गया है और उस सूची में मौजा-फुलसराय के प्लॉट संख्या-1902 (घटना स्थल) भी शामिल है। अतः अपरोक्त तथ्यों के आलोक में न्यायोचित निर्णय लेने की कृपा की जाय।

4

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता का बहस सुना तथा निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश अभिलेख में संलग्न कागजातों को अवलोकन किया स्पष्ट है कि :-

- (1) जप्त वाहन में मिट्टी लदा हुआ पाया गया है, जो मौजा-फुलसराय, थाना-रामगढ़, थाना संख्या-142, प्लॉट संख्या-1902 में उत्खनन किया गया है।
- (2) निम्न न्यायालय द्वारा जप्त वाहन में लदा मिट्टी को भारतीय वन अधिनियम-1927 की धारा-33 के उल्लंघन के आरोप में धारा-52(3) के तहत राज्यसात किया जाता है।
- (3) अपीलार्थी द्वारा समर्पित वन सीमा अंतर्गत अधिसूचित गजट से संबंधित सत्यापित प्रति की छायाप्रति के अनुसार प्रश्नगत भूमि मौजा-फुलसराय, थाना-रामगढ़, थाना संख्या-142, प्लॉट संख्या-1902 अधिसूचित वन सीमान्तर्गत नहीं है। लेकिन वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा उपलब्ध कराये गए अद्यतन पत्र संख्या-2120, दिनांक-09.10.2023 के अनुसार Demarcated/सीमांकित वन भूमि वाले प्लॉट्स को भी शामिल किया गया है और उस सूची में मौजा-फुलसराय के प्लॉट संख्या-1902 (घटना स्थल) भी शामिल है।
- (4) वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा प्रतिवेदित है कि पूर्व में उपलब्ध कराई गई Negative List के अनुसार मौजा-फुलसराय के अधिसूचित प्लॉट की विवरणी थी, इसमें प्लॉट को शामिल नहीं किया गया था।

अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में भारतीय वन अधिनियम-1927 की धारा-33 (सपठित धारा-30) के उल्लंघन के आरोप में धारा-52(3) के अंतर्गत कार्रवाई हेतु पर्याप्त साक्ष्य/आधार नहीं है, क्योंकि अपीलार्थी द्वारा समर्पित वन सीमा अंतर्गत अधिसूचित गजट से संबंधित सत्यापित प्रति की छायाप्रति के अनुसार प्रश्नगत भूमि मौजा-फुलसराय, थाना-रामगढ़, थाना संख्या-142, प्लॉट संख्या-1902 अधिसूचित वन सीमान्तर्गत इन्द्राज नहीं है, बल्कि सीमांकित वन भूमि में दिखाया गया है। इन्द्राज नहीं रहने के कारण निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश से सहमत होने हेतु पर्याप्त आधार नहीं है। साथ ही तथाकथित रैयतों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर M/s Modi Projects रेलवे के कार्य को निष्पादित कर रहे थे। अतः धारा-52 (5) के आलोक में संतुष्ट होने का आधार है कि वाहन मालिक को उपरोक्त कार्य को निष्पादित करने में वन अपराध घटित होने की संभावना का ज्ञान न हो। इसलिए इस न्यायालय द्वारा दिनांक-28.02.2020 को पारित आदेश यथावत् रखते हुए अपीलार्थी द्वारा दायर अपील आवेदन स्वीकृत किया जाता है। इसी आदेश के साथ वाद निस्तारित किया जाता है। निम्न न्यायालय का अभिलेख वापस करें।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

*Chanday*  
29/11/23  
उपायुक्त  
रामगढ़।

*Chanday*  
29/11/23  
उपायुक्त  
रामगढ़।